

// 1 //

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 176/2012

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला-बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 176/2012  
संस्थान दिनांक 07/05/2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़  
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. दीपक पिता रमेश, उम्र-37 वर्ष,  
निवासी नीम्बार कॉलोनी सेंधवा, जिला-बड़वानी (म.प्र.)
2. राहुल पिता आत्माराम, उम्र- 22 वर्ष,  
निवासी शिरपुर (महाराष्ट्र)
3. शौकत पिता लाला, उम्र- 34 वर्ष, निवासी छोटा बड़दा  
तहसील अंजड़, जिला- बड़वानी (म.प्र.)
4. संतोष पिता गब्बु, उम्र- 25 वर्ष, निवासी बोइदा  
तहसील ठीकरी, जिला- बड़वानी (म.प्र.)
5. राजेश पिता थावरिया, उम्र- 35 वर्ष, निवासी पलासमाल,  
तहसील धरमपुरी,
6. मांगीलाल पिता तोताराम, उम्र- 35 वर्ष, निवासी लोनारा,  
तहसील ऊन, जिला- खरगोन (म.प्र.)
7. महावीर पिता दावलसिंह, उम्र- 22 वर्ष, निवासी अंजड़,  
जिला- बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियुक्तगण

राज्य द्वारा	—	श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	—	श्री आर. के. श्रीवास अधिवक्ता ।

// निर्णय //

(आज दिनांक 08.12.2017 को घोषित)

01. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 60/2012 के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 04.03.2012 को समय 13:00 बजे, स्थान ग्राम छोटा बड़दा नर्मदा नदी किनारे शासकीय स्थान से बालु रेत को बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी करने तथा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई. 0522, ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 6095, ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई. 2290 एवं ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 10 ए.ए. 1319 मय ट्रॉली में बिना विधिमान्य अभिवहन पास रखे खनिज, रेती का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करके खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1ए) सहपठित धारा 21 (1) के अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होकर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 के नियम 3 सहपठित नियम 18 का उल्लंघन है के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

02. प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया था।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 04.03.2012 को थाना अंजड़ के उपनिरीक्षक के.के. मिश्रा कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली की ग्राम छोटा बड़दा नर्मदा किनारे गफूर चाचा की भूमि से लगी हुई शासकीय भूमि से कुछ लोग गौण खनिज बालु रेत का उत्खनन कर डम्फर ट्रैक्टर ट्रॉली में भर रहे तथा अवैध रूप से परिवहन कर रहे तो उसने पुलिस फोर्स के साथ कस्बा अंजड़ से रवाना होकर छोटा बड़दा नर्मदा किनारे जा कर देखा कुछ लोग गाड़ियों में रेत भर रहे थे। पुलिस को देख कर डम्फर और ट्रक भर रहे लोगों ने रायल्टी की रसीद दिखाई। एक ट्रक और एक ट्रैक्टर की रायल्टी नहीं थी। चारों वाहनों को मौके पर पकड़ा रेत भरने वाले मजदूर भाग गये। ट्रक में रेत भरने वालों के उनके नाम दीपक पिता रमेश, राहूल पिता आत्माराम, शौकत पिता लाला बाताये और ट्रक ड्रायवरो का नाम संतोष पिता गब्बु, राजेश पिता धावरिया, मांगीलाल पिता तोताराम, महावीर पिता दवलसिंह बताया था। उनके पास वहाँ पर रेत उत्खनन करने और परिवहन करने के संबंध में कोई अनुज्ञा नहीं होना बताया तो आरोपीगण का उक्त तथ्य गौण खनिज अधिनियम 1996 की धारा 53 एवं भादसं. की धारा 379 का अपराध पाये जाने से पंच साक्षी कालु पिता बाउ विक्रम पति काशीराम के सामने आरोपी संतोष से ट्रक क्रमांक एम.पी.09 जी.ई. 0522 बालु रेत भरा, आरोपी राजेश से ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 6095 बालु रेत भरा, आरोपी मांगीलाल से डम्फर नम्बर एम.पी. 09 जी.ई. 2290 बालु भरा हुआ तथा महावीर से ट्रैक्टर ट्रॉली एम.पी. 10 ए.ए. 1319 बालु रेत भरा हुआ जप्ता किये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर वाहन सहित थाने लाकर उनके विरुद्ध उक्त अपराध पाये जाने से पंचसाक्षी कालु पिता बाउ विक्रम पति काशीराम के सामने आरोपी संतोष से ट्रक क्रमांक एम.पी.09 जी.ई. 0522 बालु रेत भरा, आरोपी राजेश से ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 का अपराध क्रमांक 60/12 दर्ज करके घटनास्थल का नक्शामौका पंचनामा बनाया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। घटना स्थल का ट्रेस नक्शा पटवारी से प्राप्त किया तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरान्त प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379 भा.द.सं. तथा 4(1ए) सहपठित धारा 21(1) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत दण्डनीय होकर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 के नियम 3 सहपठित नियम 18 का आरोप निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में साक्षी के रूप में सचिन वर्मा ब.सा.01 तथा जितेन्द्र पाटीदार ब.सा.02 का परीक्षण कराया है।

05. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं कि:-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 04.03.2012 को समय 13:00 बजे, स्थान—ग्राम छोटा बड़दा नर्मदा नदी किनारे शासकीय स्थान से बालु रेत 15 टन भरी हुई, को बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी की ?
2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई. 0522/ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 6095/डम्फर नम्बर एम.पी. 09 जी.ई. 2290/ ट्रैक्टर ट्रॉली एम.पी.10 ए.ए. 1319 में बिना विधिमान्य अभिवहन पास रखे खनिज रेती का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन कर ऐसा कृत्य किया है, जो खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4(1ए) सहपठित धारा 21(1) के अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होकर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 एवं म.प्र. खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 के नियम 3 सहपठित नियम 18 का उल्लंघन है ?

**साक्ष्य विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार**

**06.** चूंकि दोनों ही विचारणीय प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं इसलिये उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। के.के. मिश्रा (अ.सा.05) का कथन है कि दिनांक 04.03.2012 को वह थाना अंजड़ में उपनिरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुखबिर की सूचना पर छोटा बड़दा नर्मदा रोड जाते हुये देखा कि भूरा चाचा की भूमि से लगी शासकीय भूमि में से ट्रेक्टर ट्रक डम्पर में बालु रेत का अवैध खनन कर रहे थे। पुलिस को देखकर वाहन भरने वाले मजदूर भाग गये। उसने वाहन मय चालक और रेंती के जप्त किये थे। उसने घटना स्थल से ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई.0522 बालु रेत भरा प्रदर्श पी-1 के अनुसार जप्त किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटना स्थल से ही ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 0695 बालु रेत भरा प्रदर्श पी-2 के अनुसार जप्त किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटना स्थल से ही डम्पर क्रमांक एम.पी.09 जी.ई. 2290 एवं ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.10 ए.ए. 1319 प्रदर्श पी-3 और प्रदर्श पी-4 के अनुसार जप्त किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटना स्थल से ही आरोपीगण को गिरफ्तार किया था। उसने घटना स्थल का नक्शामौका पंचनामा प्रदर्श पी-12 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने तहसील अंजड़ से रेत का अवैध उत्खनन जहाँ आरोपीगण कर रहे थे उसे स्थान का ट्रेस नक्शा राजस्व अंजड़ से प्राप्त किया था जो प्रदर्श पी-13 है। उसके द्वारा आरोपी राजेश तथा मांगीलाल से जिस भूमि स्थान से रेत का अवैध उत्खनन करवा रहा था उस समय उसके पास रेंती परिवहन उत्खनन की रायल्टी प्रदर्श पी-14 एवं प्रदर्श पी-15 की मौजूद थी लेकिन जिस स्थान की रायल्टी उसके पास थी। उस स्थान से रेत का उत्खनन नहीं किया जा रहा था, बिना अनुज्ञप्ति वाली भूमि से रेत का अवैध रूप से खनन किया जा रहा था तथा जिस स्थान से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। वह स्थान भूरा चाचा की भूमि से लगी हुई शासकीय भूमि थी। साक्षी का यह भी कथन है कि वह जप्तशुदा वाहन मय रेंती और अभियुक्तों को साथ लेकर थाने पर आया जहाँ उसने अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 60/12 प्रदर्श पी-17 का दर्ज किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**07.** बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, उसने मुख्य परीक्षण केस डायरी पढ़कर लिखाया है। उक्त साक्षी से थाने के रोजनामचा एवं वहाँ के पुलिस कर्मियों की गिनती/ड्यूटी के संबंध में काफी लम्बा प्रतिपरीक्षण किया गया जो कि प्रकरण से सुसंगत नहीं है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा नम्बर 11 में स्वीकार किया कि वह नहीं बता सकता है कि मुखबिर से सूचना उसे किस निश्चित जगह से मिली थी,लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसे भ्रमण पर चलते हुये मुखबिर से सूचना मिली थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी दुलीचंद पाटीदार एवं औंकार की रवानगी एवं वापसी उसके साथ थी उसने साक्षी कालु और विक्रम को सूचना देकर अस्पताल चौक पर बुलाया था तब 15-20 मिनट में वे आ गये थे। घटना स्थल पर वह औंकार व दुलिचंद पाटीदार तथा साक्षी कालु और विक्रम सभी पहुंचे थे। अस्पताल चौक अंजड़ से घटना स्थल की दूरी लगभग 6-7 किमी. है। वह घटना स्थल पहुंचने का निश्चित समय नहीं बता सकता लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि जो जप्ती का समय है वहीं उनका पहुंचने का समय है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर उन्होंने 07 व्यक्तियों को देखा था,उसे ध्यान नहीं है कि उक्त 07 व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य कितने व्यक्ति थे। साक्षी से स्पष्ट किया है कि पुलिस को देखकर वाहन वाले नहीं भागे थे वाहन भरने वाले भागे थे। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि जब वह घटना स्थल पर गया तब उसे मालूम नहीं था कि उक्त जमीन शासकीय है,या प्राईवेट खेती की है। साक्षी ने यह उत्तर दिया कि रेत उत्खनन के लिये जो भूमि सरकार द्वारा लीज पर नीलाम की गई थी। उसके पड़ोस में शासकीय जमीन थी,और उसके पड़ोस में भूरा चाचा की खेती की जमीन थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि, वह नहीं बता सकता कि लीज पर दी गयी भूमि का सर्वे नम्बर क्या है,लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि, अवैध उत्खनन से लीज पर दी गयी भूमि का संबंध नहीं था इसलिये उसने लीज पर दी गयी भूमि से प्रमाणित दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं किये हैं। साक्षी ने

स्वीकार किया है कि, उसने तहसीलदार से उत्खनन करने वाले स्थान के संबंध में जानकारी चाही थी। तो तहसीलदार द्वारा उत्खनन के संबंध में ट्रेस नक्शा दिया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि, वह नहीं बता सकता कि प्रदर्श पी-12 के ट्रेस नक्शे में किस जगह से उत्खनन किया जा रहा है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि, प्रदर्श पी-13 के नक्शामौका पंचनामे में जहाँ उत्खनन हो रहा था। वहाँ शासकीय भूमि नर्मदा नदी का किनारा अंकित किया है। (इस साक्षी से बार बार प्रतिपरीक्षण के पैरा 18, 19 व 20 में एक ही प्रश्न बार बार पूछा गया है, जिसका साक्षी ने सही प्रकार से उत्तर यह दिया है कि उसने प्रदर्श पी- 13 के नक्शे में वह स्थान दर्शाया है कि, जहा से अवैध रूप से रेत का उत्खनन हो रहा था)। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि,उसके द्वारा जप्त किये गये वाहन खाली थे, अथवा उसने जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था वे वाहन के चालक नहीं थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि, वाहन के चालक भाग गये थे,और उसने नर्मदा किनारे की भीड़ में से व्यक्तियों को पकड़कर उनके विरुद्ध असत्य प्रकरण बनाया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि, उसने जप्त की गई रायल्टी जारी करने वाले ठेकेदार जितेन्द्र पाटीदार के कथन नहीं लिये थे लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि, जहाँ के लिये रायल्टी जारी की गयी थी। वहाँ से रेत नहीं भरते हुये, अन्य स्थान से रेत भरी जा रही थी।

08. साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, उसने जो वाहन जप्त किये थे उनके मालिको से उनके वाहन पर कौन चालक है,इसके संबंध में कोई कथन नहीं लिये थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि, उसके द्वारा तगारी और पावडे जप्त नहीं किये थे, और जप्त की गयी रेत का तौल नहीं कराया था। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि, उसने वाहन मालिकों या रेत ठेकेदारों से मिलकर अभियुक्तों के विरुद्ध झूठा प्रकरण बनाया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, सर्वे नम्बर 86 में कोई बालु रेत नहीं है। साक्षी ने यह स्पष्ट किया कि वह जिस स्थान से रेत उत्खनन बता रहा है वह शासकीय भूमि है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि उसने प्रदर्श पी 14 व प्रदर्श पी-15 की रायल्टी की रसीदे प्रकरण में पेश की हैं उन स्थानों की रेत की तुलना उस स्थान से नहीं की, जहाँ से वह रेत पकड़ना बता रहा है। साक्षी ने इसका उत्तर यह दिया है कि, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि वह जिस स्थान से रेत उत्खनन करना बता रहा है, वहीं से अभियुक्तों को रंगे हाथ पकड़ा है। साक्षी ने सुझाव से भी स्पष्ट इंकार किया है कि, उसने अभियुक्तों से कोई रेत जप्त नहीं की थी,अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

09. कालु सिंह (अ.सा.01) तथा विक्रम कौशल (अ.सा.02) आरोपीगण को उक्त वाहन और बालु रेत जप्त करने के साक्षी है। उक्त दोनों ही साक्षियों ने आरोपीगण को पहचानने और उन्हें घटना वाले दिन देखना बताया है। कालु (अ.सा.01) का कथन है कि, घटना मार्च 2012 की है। वह थाना प्रभारी श्री के.के.मिश्रा के साथ मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर छोटा बड़दा गया था क्योंकि के.के. मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि छोटा बड़दा में ट्रक और ट्रैक्टर में अवैध रूप से रेत को भरकर ले जाया जा रहा है। विक्रम कौशल (अ.सा.02) ने भी तीन वर्ष पहले थाना प्रभारी श्री के.के. मिश्रा नगर सैनिक कालु तथा 02-03 पुलिस कर्मियों के साथ ग्राम छोटा बड़दा रेती खदान पर बिना अनुमति के रेत उत्खनन की सूचना मिलने पर जाना बताया है। उक्त दोनों साक्षियों का यह भी कथन है कि, वे लोग ग्राम छोटा बड़दा नर्मदा किनारे पहुंचे थे तब वहाँ एक ट्रैक्टर डम्पर और ट्रक और उसमें भरी हुयी रेत को जप्त किया था। मौके पर उपस्थित आरोपीगण और अन्य व्यक्ति मिले जिन्हें गिरफ्तार किये थे। उक्त साक्षियों ने जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-4 ओर आरोपीगण के गिरफ्तारी पंचनामें प्रदर्श पी-05 से प्रदर्श पी-11 पर अपने हस्ताक्षर होना ही बताया है। विक्रम (अ.सा.02) का यह भी कथन है कि उनको देख कर कुछ लोग वहाँ से भाग गये और कुछ लोग उनकी पकड़ में आ गये। उन्होंने जिन व्यक्ति को पकड़ा था उनमें से कुछ व्यक्ति रेती भरे हुये वाहनों को लेकर जाने वाले थे और कुछ व्यक्ति वाहनों में रेत भर रहे थे।

09. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कालु (अ.सा.01) के यह स्वीकार किया है कि, उनके साथ हमरा फोर्स में कितने व्यक्ति थे और कौन कौन थे वह नहीं बता सकता है। वे लोग थाने से 12:00 से 01:00 बजे के मध्य निकले थे। थाने से बड़दा से निकले तो रास्ते में कई लोग मिले थे उनमें से किसी को भी साक्षी के रूप में साहब द्वारा तलब नहीं किया गया था। अंजड़ थाने से बड़दा पहुंचने में उन्हें 15-20 मिनट का समय लगा था। वे लोग सीधे नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गये वहाँ पर ट्रक और ट्रैक्टर में रेत भर रहे वे लोग नर्मदा नदी के किनारे नहीं गये खान पर गये थे। खान नर्मदा नदी से लगभग 1/2 किमी. की दूरी पर है। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि जो भी व्यक्ति नर्मदा नदी के किनारे पर मिले थे उनको साहब थाने पर बैठाकर ले आये थे। उक्त साक्षी से जप्ती और गिरफ्तारी के पंचनामे किस क्रम में बनाये गये इस संबंध में अनावश्यक रूप से प्रतिपरीक्षण पैरा नम्बर 08, 09 में किया गया है जो कि, प्रकरण से सुसंगत नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-11 की लिखावट पाटीदार साहब की है, और उस पर केवल मिश्राजी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि, वह श्री मिश्राजी के साथ ग्राम बड़दा नहीं गया था अथवा उसके सामने प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-11 की कोई कार्यवाही नहीं हुई थी अथवा उसने थाने पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह अभियुक्तों को उनके नाम से नहीं जानता है और उसे घटना स्थल पर जाते समय इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह शासकीय जमीन थी या नहीं। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि, जब वे घटना स्थल पर पहुंचे तब अन्य व्यक्ति इकट्ठा हो गये थे। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि, वाहन भरने वाले व्यक्ति थे। साक्षी ने स्वीकार किया है कि, उसने प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-11 जिन पंचनामों पर हस्ताक्षर किया थे वे एक साथ ही किये थे। उसे उन पंचनामों को पढ़ने का काम नहीं पड़ा लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया है कि, साहब ने बताया था कि जप्ती और गिरफ्तारी पंचनामों बनाये थे उन पर हस्ताक्षर कर दो।

10. विक्रम कौशल (अ.सा.02) ने स्वीकार किया है कि, नर्मदा नदी के किनारे रेत होने से वहाँ वाहन नहीं चल सकता है। उन्होंने अपने वाहन नर्मदा नदी के किनारे से लगभग 400-500 फीट की दूरी पर खड़े किये थे। उसने मौके से 15-20 व्यक्तियों को भागते हुये देखा था और जो व्यक्ति हाथ में आ गये थे उनको पकड़ लिया था। साक्षी ने सुझाव से इंकार किया है कि, उन व्यक्तियों को पकड़कर थाने पर ले गये थे। साक्षी स्पष्ट किया है कि, जप्ती और गिरफ्तारी पंचनामों बनाये थे। इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि, प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-11 की लिखावट प्रधान आरक्षक श्री पाटीदार की है लेकिन साक्षी ने सुझाव से इंकार किया है कि वह घटना स्थल पर नहीं गया था तथा उसके सामने जप्ती और गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुयी थी अथवा उसने मिश्रा जी के कहने पर उक्त पंचनामों पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि जब वे घटना स्थल पर पहुंचे तब उन्हें नहीं पता था कि उक्त स्थान शासकीय है या नहीं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने उपस्थित अभियुक्तों में से किसी व्यक्ति को ट्रक डम्पर एवं ट्रैक्टर में रेत भरते हुये नहीं देखा था और वाहन चलाते हुये भी नहीं देखा था लेकिन साक्षी ने सुझाव से इंकार किया है कि रेत भरने वाले और ट्रक वाले भाग गये थे। इस प्रकार संपूर्ण प्रतिपरीक्षण के दौरान भी उक्त दोनों साक्षियों के कथनों का कोई खण्डन इस बिन्दू पर नहीं हुआ है कि वे दोनों थाना प्रभारी श्री के.के. मिश्रा के साथ ग्राम छोटा बड़दा नदी किनारे गये थे तथा वहाँ पर आरोपीगण को ट्रैक्टर ट्रॉली एवं ट्रक में रेत भरते हुये पकड़ा था।

11. नरेन्द्र चौहान (अ.सा.03) का कथन है कि वह वर्ष 2011 से 2012 तक पटवारी हल्का नम्बर 02 ग्राम बड़दा, आवली, गोलाटा, दतवाडा एवं संदेवा का प्रभारी पटवारी था उसके द्वारा ग्राम बड़दा पटवारी हल्का नम्बर 02 तहसील अंजड़ की शासकीय भूमि खसरा न 36 का ट्रेस नक्शा पुलिस थाना अंजड़ के मांगने पर दिया था जो प्रदर्श पी-12 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे प्रदर्श पी-12 का ट्रेस नक्शा किस दिनांक को दिया है वह नहीं बता सकता है।

उसके द्वारा शासकीय भूमि पर खसरा नम्बर 86 से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है इस संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि ग्राम बड़दा के चौकीदार ने भी उसे या तहसीलदार को रेत उत्खनन की कोई शिकायत नहीं की थी। साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श डी-2 का कथन देने से इंकार किया है लेकिन यह स्पष्ट किया है कि उसने पुलिस के मामले में ट्रेस नक्शा दिया था।

12. फिरोज (अ.सा.04) ने आरोपीगण को पहचानने और घटना के संबंध में कोई भी जानकारी होने से इंकार किया है। इस साक्षी से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका खेत ग्राम छोटा बड़दा नर्मदा नदी के किनारे है और नर्मदा नदी के किनारे से ट्रक और ट्रैक्टरों में रेत भरी जाती है लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ट्रक और ट्रैक्टरों में शासकीय भूमि से अवैध रूप से बालु रेत नर्मदा नदी के किनारे से लेकर जा रहे थे यह तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी-13 का कथन देने से भी इंकार किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त साक्षी को बचाव पक्ष द्वारा प्रभावित कर लिया गया है और वह जानबूझकर असत्य कथन कर रहा है।

13. सचिन वर्मा (ब.सा.01) का कथन है कि जिला कार्यालय बड़वानी में सहायक खनिज अधिकारी के पद पर पदस्थ है। वह अपने साथ खनिज बालु रेत खदान का रिकॉर्ड साथ लाया है। ग्राम पिछोड़ी के खसरा क्रमांक 81, 82/1, 82/2, 64/1, 64/2, 60/2 तथा 58 कुल रकवा 5.000 हैक्टीयर की बालु रेत खदान कलेक्टर के आदेश दिनांक 18.04.2011 के अनुसार ठेकेदार जितेन्द्र पाटीदार पिता ओमप्रकाश पाटीदार, निवासी कसरावद, जिला- खरगोन म.प्र. को कब्जा दिनांक से दिनांक 31.03.2013 तक स्वीकृत की गयी थी, तथा जितेन्द्र पाटीदार को उपरोक्त खदान की 100 पृष्ठ की रायल्टी बुक क्रमांक 56596 जारी की गयी थी जो प्रदर्श पी-14 व प्रदर्श पी-15 है। रायल्टी बुक जारी करने का रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 216 पर उक्त रायल्टी बुक जारी होना पाया है। साक्षी ने उसके कार्यालय द्वारा जारी प्रदर्श डी-1 से प्रदर्श डी-5 के दस्तावेज प्रमाणित किये हैं। अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि ग्राम छोटा बड़दा की खदान के लिये उक्त रायल्टी जारी नहीं की गयी थी तथा प्रदर्श पी-14 व प्रदर्श पी-15 का अभिवहन पास ग्राम छोटा बड़दा के सर्वे क्रमांक 86 से रेत उत्खनन करने के संबंध में जारी नहीं किया गया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-14 व प्रदर्श पी-15 के अभिवहन पास के आधार पर दिये गये स्थान के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान से रेत का उत्खनन कर ले जाना अवैध परिवहन की श्रेणी में आता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि ग्राम छोटा बड़दा के सर्वे क्रमांक 86 जो शासकीय भूमि है से बालु रेत उत्खनन के संबंध में कोई खदान लीज पर दी गयी है या नहीं वह उक्त संबंध में कार्यालय में रखा हुआ रिकॉर्ड देखकर बता सकता है। इस आधार पर साक्षी का प्रतिपरीक्षण अभियोजन के निवेदन पर स्थगित किया गया था तथा साक्षी ने दिनांक 24.06.2017 को यह कथन किया है कि खनिज कार्यालय में ग्राम छोटा बड़दा में सर्वे क्रमांक 86 पर बालु रेत उत्खनन किये जाने के संबंध में कोई भी खदान नीलाम नहीं की गयी है। इस साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से पुनः परीक्षण करने पर स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-14 व प्रदर्श पी-15 जिस खदान के लिये जारी होता है वह उस खदान के ठेकेदार द्वारा उस स्थान से रेत भरने के बाद दिया जाता है।

14. जितेन्द्र पाटीदार (बचाव साक्षी 02) का कथन है कि उसने वर्ष 2012 में बालु रेत खदान ग्राम पिछोड़ी के खसरा क्रमांक 81, 82/1, 82/2, 64/1, 64/2, 60/2 तथा 58 कुल रकवा 5.000 हैक्टीयर शासन से पट्टे पर दिनांक 31.03.2013 तक ली थी दिनांक 04.03.2012 को ग्राम पिछोड़ी बालु रेत खदान से वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 के.डी. 6095 में तथा ट्रक क्रमांक एम.पी.09 जी.ई. 2290 रेत भरी थी जिसकी रायल्टी प्रदर्श पी-14 व प्रदर्श पी-15 उसके यहा काम करने वाले मुंशी द्वारा दी गयी थी जो इंदौर के लिये जारी हुई थी। अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया था कि 10 घनमीटर में लगभग 8-9 टन रेत आती है तथा ग्राम पिछोड़ी से इंदौर जाना हो तो बीच में ग्राम छोटा बड़दा नहीं आता

है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-14 व प्रदर्श पी-15 की रायल्टी रसीदे उसकी हस्तलिपि में नहीं है और उसके हस्ताक्षर भी नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि खदान से वाहन निकले के बाद वाहन कहाँ जाता है और कहाँ खाली होता है इसकी जिम्मेदारी खदान मालिक की नहीं होती है।

**15.** आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपीगण द्वारा ग्राम पिछोड़ी स्थित जितेन्द्र पाटीदार ब.सा.02 की खदान से रेत निकाली जा रही थी तथा उन्हें अंजड़ थाने के सामने से निकलते समय पकड़ा गया है। आरोपीगण ने अवैध रूप रेत का परिवहन नहीं किया तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनका यह भी तर्क है कि पुलिस विभाग को रेत का अवैध रूप से परिवहन रोकने के संबंध में अपराध दर्ज करने और विवेचना करके अभियोग पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।

**16.** आरोपीगण के अधिवक्ता ने आरोपीगण से उक्त वाहन और रेत की जप्ती ग्राम छोटा बडदा में नहीं होना बल्कि अंजड़ थाने के सामने करने के संबंध में किसी अभियोजन साक्षी को कोई भी सुझाव नहीं दिये गये हैं यहाँ तक की जप्ती कर्ता पुलिस अधिकारी श्री के.के.मिश्रा अ.सा.05 से भी उक्त जप्ती उनके द्वारा बताये गये स्थान ग्राम छोटा बडदा पर नहीं किये जाने के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। बचाव साक्षी जितेन्द्र पाटीदार ब.सा.02 ने भी अभियोजन के इस सुझाव को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि ग्राम पिछोड़ी (जहाँ पर उक्त साक्षी की बालु रेत खदान होना बताया गया है) से इंदौर जाना हो तो बीच में ग्राम छोटा बडदा नहीं आता है। यहाँ तक कि उक्त साक्षी ने अपनी बालु रेत खदान 10 घन मीटर में लगभग 8-9 टन रेत होना बताया है जबकि इस मामले में आरोपीगण के आधिपत्य से जप्त बालु रेत की मात्रा उससे बहुत अधिक है। ऐसे स्थिति में भी बचाव पक्ष का उक्त तर्क स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है। जहाँ तक पुलिस अधिकारी को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के अपराधों की विवेचना एवं अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में पुलिस को शक्तियाँ प्राप्त नहीं होने का प्रश्न है वहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्याय दृष्टांत दिल्ली राज्य विरुद्ध संजय किमिनल अपील नम्बर 499/2011 में यह सिद्धांत प्रतीपादित किया है कि यदि किसी अपराध का संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया जा चुका है तो बाद में उस मामले में की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि उक्त विवेचना करने वाले अधिकारी को उक्त मामले में विवेचना करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस संबंध में न्याय दृष्टांत कालु भाई, दुल्हा भाई विरुद्ध गुजरात राज्य तथा अन्य किमिनल अपील नम्बर 2106/2013 तथा जयसुख भवनजी सिंगालिया विरुद्ध गुजरात राज्य तथा अन्य किमिनल अपील नम्बर 2108-2112/2013 भी अवलोकन करने योग्य है।

**17.** आरोपीगण से दिनांक 04.03.2012 को मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम छोटा बडदा नर्मदा स्थित शासकीय भूमि से ट्रक डम्पर और ट्रैक्टर में अवैध रूप से बालु रेत का खनन करते हुये उक्त वाहन एवं उसमें भरी रेत सहित जप्त करने और आरोपीगण को गिरफ्तार करने के संबंध में के.के. मिश्रा आ.सा.05 के कथन पूर्णतः विश्वसनीय है जिसका समर्थन जप्ती पंचनामों के साक्षीगण कालु सिंग आसा.01 विक्रम कौशल आ.सा.02 के कथनों से हुआ है तथा उक्त शासकीय भूमि पर बालु रेत होने के संबंध में नरेन्द्र चौहान आ.सा.03 ने स्पष्ट कथन किया है। उक्त साक्षीगण के कथनों का प्रतिपरीक्षण के दौरान ही कोई खण्डन नहीं हुआ है। परीक्षित किसी भी साक्षी कि आरोपीगण से कोई शत्रुता या अभियोजन हितवद्धता होना बचाव पक्ष ने प्रमाणित नहीं की थी यहाँ तक कि उन्हें इस संबंध में कोई सुझाव भी नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में आरोपीगण को झूठा फंसाने की संभावना भी प्रतीत नहीं होती है।

18. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि आरोपीगण के द्वारा नर्मदा किराने स्थित शासकीय भूमि ग्राम छोटा बड़दा से खनिज पदार्थ बालु रेत का राज्य शासन की अनुमति के बिना उत्खन्न कर बालु रेत की चोरी की जा रही थी जिन्हें के.के.मिश्रा आ.सा.05 ने पकड़ा तथा आरोपी संतोष से ट्रक क्रमांक एम.पी.09 जी.ई-0522 में भरी हुई 15 टन बालु रेत, आरोपी राजेश से ट्रक क्रमांक एम.पी.09 के.डी-6095 में भरी हुयी 15 टन बालु रेत, आरोपी मांगीलाल से डम्पर क्रमांक एम.पी-09 जी.ई-2290 में भरी हुयी 15 टन बालु रेत तथा महावीर से ट्रैक्टर क्रमांक एम.पी.10 ए.ए.1319 में भरी हुई बालु रेत (ट्रॉली में पूरी भरी) जप्ती थी, तथा शेष आरोपीगण दीपक, राहुल और शौकत उक्त रेत का अवैध उत्खन्न उनके साथ मिलकर कर रहे थे जो कि भा.द.सं. की धारा 379 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4(1ए) सहपठीत धारा 21ए एवं म.प्र.गौण खनिज अधिनियम 1996 के नियम 53 एवं म.प्र.खनिज अवैध परिवहन एवं भण्डारण का निवारण नियम 2000 के नियम 3/18 का अपराध है जो अभियोजन प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपीगण को उक्त धाराओं के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

19. प्रकरण की परिस्थितियों अपराध की गंभीरता तथा उक्त तरह के अपराधों का पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभावों को देखते हुये आरोपीगण को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय लेख स्थगित किया जाता है।

सही /—  
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़ जिला-बड़वानी (म0प्र0)

#### पुनश्च:-

सजा के प्रश्न पर आरोपीगण और उसके विद्वान अधिवक्ता को सुनाया गया। उनका निवेदन है कि आरोपीगण गरीब, ग्रामीण, अशिक्षित एवं मजदूर पेशा, कम आयु का नवयुवक है उसका यह प्रथम अपराध है। अतः सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये तथा न्यूनतम कारावास से दण्डित किया जाये।

20. यह सही है कि आरोपीगण ग्रामीण पृष्ठभूमि के कम पढ़े लिखे व्यक्ति है तथा विचारण का सामना शीघ्रता से किया है, जिसे देखते हुये आरोपीगण को अधिकतम कारावास से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः यह न्यायालय आरोपीगण को भा.द.सं. की धारा 379 में दोषी ठहराते हुये छः माह के सश्रम कारावास से दण्डित करता है, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4(1ए)/21(1) में प्रत्येक आरोपीगण को दोषी ठहराते हुये, छः माह के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक आरोपीगण को रुपये 1000-1000/- (एक-एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड की राशि अदा ना किये जाने पर 10-10 दिन का सश्रम कारावास भुगताया जाये। म0प्र0 गौण खनिज अधिनियम 1996 की धारा 53 में प्रत्येक आरोपीगण को दोषी ठहराते हुये, छः माह के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक आरोपीगण को रुपये 1000-1000/- (एक-एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड की राशि अदा ना किये जाने पर 10-10 दिन का सश्रम कारावास भुगताया जाये। म0प्र0 खनिज (अवैध परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) के



नियम 2006 के नियम 3/18 में प्रत्येक आरोपीगण को दोषी ठहराते हुये, छः माह के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक आरोपीगण को रुपये 1000-1000/-(एक-एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड की राशि अदा ना किये जाने पर 10-10 दिन का सश्रम कारावास भुगताया जाये। उक्त सभी सजाये साथ-साथ चलेगी। आरोपीगण द्वारा निरोध में बितायी गयी अवधि कारावास की सजा में समायोजित की जाये। उक्त अनुसार द0प्र0सं0 की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

21. आरोपीगण के जमानत एवं मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

22. जप्त ट्रक क्रमांक एम.पी.09 जी.ई-0522 में भरी हुई 15 टन बालु रेत, ट्रक क्रमांक एम.पी.09 के.डी-6095 में भरी हुयी 15 टन बालु रेत, डम्पर क्रमांक एम.पी-09 जी.ई-2290 में भरी हुयी 15 टन बालु रेत तथा ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी.10 ए.ए.1319 में भरी हुई बालु रेत (ट्रॉली में पूरी भरी) के संबंध में राजसात की कार्यवाही कलेक्टर बडवानी के यहां लंबित है अतः उक्त जप्त सम्पत्ति के संबंध में कोई भी आदेश नहीं किया जा रहा है।

23. निर्णय की प्रति कलेक्टर बडवानी को सचूनार्थ भेजी जाये तथा आरोपीगण को निःशुल्क दी जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही /-  
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.

सही /-  
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बडवानी म.प्र.